





श्रीमती भंवरी बनाम श्री सुन्दर व अन्य

किस्म मुकदमा 1/18 9 R 9 CPC

मु0न0 42 सन 18

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम कीतामील में जारी हुए
16-10-19	...स्थानीय बार एसो. ने कार्य संचालित रखा ...मो.सा.पवार हैं। भि... ...नियत कार्यवाही हेतु दिनांक...30/12/19... ...पेश हो।	
05-12-2019	<p>प्राथमिक श्रीमती भंवरी पाल्ने श्री देवराज द्वारा प्रकरण सं. 11/2018 के प्रार्थना-पत्र पत्रके कार/पत्रके विही व किसत तलब करने का प्रस्ताव करने पर प्र पत्रावली कोच तलब की गई। प्राथमिक में प्र प्रेसें को प्रानपत्र आगे नहीं चलाये के कथन लिए। प्रार्थना पत्र प्राथमिक को पढ़कर सुनाया गया। प्राथमिक ने सुन व समझ कर प्रार्थना-पत्र पर कोण कोई कार्यवाही नहीं चारे जाने का निवेदन किया। उक्त आदेश की खंडा निष्कर्षी प्राथमिक द्वारा अंकित की गई तथा गवाह श्री रामेश्वरलाल पुत्र डूंगरलाल के इस्तामर करवाए गए। प्रार्थना-पत्र व पत्रावली को अवलोकन किया गया। कोर अवलोकन लोक अदालत की आवना से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना-पत्र बाबत रेस्टोरेशन पर कार्यवाही रसी स्तर पर ड्राप की जाकर प्रकरण खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार डेकर नम्बर से कम हो।</p> <p>(जसजीतसिंह संधू) उपखण्ड अधि. एवं सहायक कलक्टर ब्यावर</p>	<p>मे यह प्रार्थनापत्र आगे नहीं चलाया जा रही है। पर मुझे व समझ कर आदेश निशाने कर रहे हैं।</p> <p> का. कि. भंवरी</p> <p> शानेश्वरलाल - डूंगरलाल गवाह</p>

